न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 20/23

GCMS NO 2023/67

...यराम पुत्र मन्ना जाति मीना निवासी जटवाडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. बादाम पत्नि स्व0हीरा
2. काली पुत्री स्व0हीरा
3. पुष्पा पुत्री स्व0हीरा
4. मीठालाल पुत्र स्व0हीरा
5. मनराज पुत्र स्व0हीरा
6. कृपाशंकर पुत्र मोजीराम
7. रामरेसी पुत्र मोजीराम
8. बंशी उर्फ जन्सी पुत्र छोगाराम
9. घनश्याम पुत्र मूलचंद
10. रतनलाल पुत्र माधो
11. रामस्वरूप पुत्र माधो
12. आशाराम पुत्र माधो
13. टीकाराम पुत्र माधो
14. राजबाई पुत्री माधो
15. सुलोचना पत्नि गोरीशंकर
16. विधा पुत्री गोरीशंकर
17. अंकिता पुत्री गोरीशंकर
18. अमरसिह पुत्र गोरीशंकर
19. चरणसिह पुत्र गोरीशंकर
20. बजरंगा पुत्र मूल्या
21. चिरंजी पुत्र मूल्या
22. बलास पुत्र मूल्या
23. सीयाराम पुत्र रामकल्याण
24. विरेन्द्र पुत्र रामकल्याण
25. दुर्गा पुत्री रामदुलारी
26. रामदुलारी पुत्री रामदुलारी
27. झूमरबाई पत्नि किशन
28. रामचन्द्री पत्नि मूल्या जातियान मीना निवासीयान जटवाडा कलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 12/19 निर्णय दिनांक ... सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीला0 श्री दिलराज मीना

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

भिभाषक रैस्पो0 संख्या 1 ता 5 श्री राधेश्याम बैष्णव
रेस्पो0 संख्या 6 ता 28 कोई उपस्थित नही

दिनांक 02.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 4.8.22 यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थी संख्या ता 5 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत इस आशय का पेश कि वादीगण कृषि भूमि आराजी ख0न0 877 के , प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आराजी कृषि भूमि ख0न0 368,871,887,888,889 के , प्रतिवादी संख्या 4 आराजी ख0न0 867 के खातेदार काश्तकार है। आराजी ख0न0 866 सिवायचक है। वादीगण अपने खातेदारी के खेत ख0न0 877 रकबा .9700 है0 मे आने जाने व बैलगाडी ट्रेक्टर आदि वाहन लाने ले जाने के लिए आराजी ख0न0 866,867,887,888,889 मे से होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त वादीगण के पास अपने खेत ख0न0 877 पर पहुँचने का अन्य कोई रास्ता नही है। दिनांक 28.7.19 को प्रतिवादीगण ने ख0न0 877 पर जाने वाले रास्ते को अवरूद्व कर दिया। जिससे वादीगण को अपने खेत पर आने जाने हेतु परेशानी हो रही है। प्रतिवादीगण रास्ता खुलासा करने का राजी नही है। रास्ता खुलासा करने की कहने पर नाराज होते है तथा गाली गलौच करते है। अतः वादीगण को अपनी आराजीयात ख0न0 877 मे आने जाने हेतु आराजी ख0न0 866,867,887,888,889 मे से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जावे तथा दिलाये गये रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी खेत ख0न0 877 मे आने जाने हेतु व वाहन इत्यादि लाने ले जाने हेतु आराजी ख0न0 866,867,887,888,889 मे से होकर दिये गये रास्ते मे किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पो/प्रार्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/प्रार्थी संख्या 1 ता 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्राथी संख्या 11 जयराम द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि वि[illegible] रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 काफी समय से गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे आराजी [illegible] 882 व 880 तथा खातेदारी के आराजीयात ख0न0 878 से होते हुए [illegible] आते जाते रहे है। उक्त रास्ता ही रेस्पो0 की आराजीयात मे पहुंचने का सरल सुगम व छोटा रास्ता है। रेस्पो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट से रंजिश रखते है येन केन हेरान परेशान करने का इरादा रखत है जिस कारण ही अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 6 ता 28 की खातेदारी की आराजीयात से रास्ते की मांग की जो सर्वथा अनुचित है। तहसीलदार द्वारा विवादित स्थल की मौका रिपोर्ट सही प्रस्तुत नही की है। उक्त मौका रिपोर्ट मे पूर्व से मौजूद रास्ता ख0न0 827,882,880 तथा खातेदारी की आराजीयात ख0न0 878 को नही दर्शाया है। अपीलांट को उक्त प्रकरण के सम्मन कभी प्राप्त नही हुए। रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 ने तामील कुनिन्दा से साझ कर झूठी तामिल की रिपोर्ट करवाकर सम्मन तामिल होना दर्शाया है। जो गैर कानूनी है। दिनांक 9.2.23 को रेस्पो0 ने अपीलांट से ऐलानिया कहा कि न्यायालय ने अपीलांट के ख0न0 मे से रास्ता निकालने के आदेश दे दिये है। अब अपीलांट को रास्ता देना पडेगा। जिस पर अपीलांट ने जानकारी कर नकल आदि प्राप्त किये । इस प्रकार अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर ग्राम जटवाडा कलां की आराजी ख0न0 866,867,887,888,889 के स्थान पर ख0न0 827,882,880 गैर मुमकिन से तथा आराजी ख0न0 878 से रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि रेस्पो/प्रार्थी कृषि भूमि आराजी ख0न0 877 के , प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आराजी कृषि भूमि ख0न0 868,871,887,888,889 के , प्रतिवादी संख्या 4 आराजी ख0न0 867 के खातेदार काश्तकार है। आराजी ख0न0 866 सिवायचक है। रेस्पो0 अपने खातेदारी के खेत ख0न0 877 रकबा .9700 हे0 मे आने जाने व बैलगाडी ट्रेक्टर आदि वाहन लाने ले जाने के लिए आराजी ख0न0 866,867,887,888,889 मे से होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 के पास अपने खेत ख0न0 877 पर पहुँचने का अन्य कोई रास्ता नही है। अपीलांट ने ख0न0 877 पर जाने वाले रास्ते को अवरूद्व कर दिया। जिससे रेस्पो0 को अपने खेत पर आने जाने हेतु परेशानी हो रही है। अपीलांट रास्ता खुलासा करने का राजी नही है। रास्ता खुलासा करने की कहने पर नाराज होते है तथा गाली गलौच करते है। अतः रेस्पो0 को अपनी आराजीयात ख0न0 877 मे आने जाने हेतु आराजी ख0न0 866,867,887,888,889 मे से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमे अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजीयात पर पहुँचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने तथा अपीलांट की भूमि 866,867,887,888 मे से ही रास्ता सुगम होना अंकित किया है। अन्य जगह से रास्ता दिया जाना संभव नही होना अंकित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत विधि अनुसार रास्ते काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर की दो गुना राशि खातेदारो के खाते मे जमा कराने की शर्त पर नियमानुसार रास्ता प्रदान करने के आदेश पारित किये है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे नक्शे मे तरमीम हो चुकी है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की आराजीयात ख0न0 866,867,887,888 मे रास्ता चाहने हेतु रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका की रिपोर्ट तलब की गई जो पटवारी हल्ला एवं गिरदावर के द्वारा तैयार की गई है। जिसमे प्रार्थी/रेस्पो0 को अपने खेत पर जाने हेतु कोई रास्ता नही होना तथा कृषि कार्य हेतु अस्थाई रास्ते से गुजरना पडना तथा प्रार्थी के खेत के पास ख0न0 899 गैर मुमकिन रास्ता जो कि ख0न0 866 सिवायचक मे मिलता है जहॉ होकर ख0न0 867,887,888 की मेड पर होकर ख0न0 877 प्रार्थी/रेस्पो0 के खेत पर पहुॅचना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थी/रेस्पो0 को आराजीयात ख0न0 827,882,880 गैर मुमकिन रास्ता व आराजी ख0न0 878 से रास्ता दिये जाने का कथन किया है इससे यह तथ्य स्वीकृत है कि रेस्पो/प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता पूर्व से उपलब्ध नही है। जो अपीलांट का स्वीकृत तथ्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत विधि मे प्रावधान है कि यदि किसी जोत धारक को उसकी जोत तक पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही हो तो लघुतम दुरी की आराजीयात से रास्ता प्रदान किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर भूमि की प्रचलित दर की दो गुना राशि अदा करने की शर्त पर ही रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये है। जो विधि के अनुरूप है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 12/19 निर्णय दिनांक 4.8.22 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner